

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- F.6(20)UDH/DoITCServices/2019

जयपुर, दिनांक:- 09/12/2019

आदेश

नगरीय विकास विभाग द्वारा नाम हस्तान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र व बकाया लीज का भुगतान, सामुदायिक भवन बुकिंग, प्रोपर्टी आईडी जनरेशन, ई-टेन्डरिंग हेतु पेमेन्ट गेटवे (धरोहर राशि/EMD), कैश लेस सिस्टम/ऑफलाईन सेवाओं के लिये पेमेन्ट गेटवे सेवाओं को ऑनलाईन करने हेतु एप्लीकेशन विकसित करवायी जाकर समस्त प्राधिकरण व न्यासों में लागू की गयी है।

अतः उक्त सभी सेवाओं के आवेदन ऑफलाईन माध्यम से ना लिये जाकर ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जायें। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, चित्तौडगढ़, भीलवाडा, पाली, आबू, बाडमेर व जैसलमेर।
6. अन्य संबंधित



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय